फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान [illegible] **बनाम** [illegible]

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा–............/-2022 (दावा – 24/2018)

5/08/2022	दिनांक 28.02.2022 को जारी प्राथमिक डिक्री बावत् कुर्रेजात रिपोर्ट 25.05.2022 प्राप्त हुई, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु उभयपक्ष अधिवक्ताओं को मौका दिया गया। उक्त रिपोर्ट बावत् प्रतिवादी सं0 2 से 5 ने दिनांक 07.08.2022 को आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार जयपुर को कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश प्रदान किए गए थे परन्तु उक्त रिपोर्ट उप तहसीलदार कालवाड द्वारा तैयार की गई है। प्रार्थी (प्रतिवादी सं0 2 से 5) ने यह भी कथन किया कि प्रस्तुत कुर्रेजात मीट्स एण्ड बाउण्डस/कब्जे के आधार पर तैयार नहीं की गई। जिसके जवाब में प्रतिवादी सं0 1, 6 से 9 ने निवेदन किया कि सम्बन्धित पटवारी हल्का एवं तहसील कार्यालय द्वारा पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित होने बावत सूचनाएँ भिजवायी गई एवं नियत सूचित समय पर राजस्व कर्मचारी/अधिकारी मौके पर पहुँचे एवं मौके पर नाप – जोख की कार्यवाही की जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई लेकिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 एवं 10 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये गये जबकि कुर्रेजात रिपोर्ट सभी पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप तैयार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये थे। वादी अधिवक्ता को आपत्ति कुर्रेजात प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किए गए, परन्तु वादी अधिवक्ता ने अदिनांक कोई आपत्ति पेश नहीं की। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 में प्राथमिक डिक्री में सहखातेदारों का हिस्सा स्पष्ट न होने बावत् उल्लेख किया गया था परन्तु प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव में सभी सहखातेदारों का हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार पाया गया अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 खारिज किया गया। इसके अतिरिक्त वादी अधिवक्ता द्वारा कोई और आपत्ति पेश नहीं की गई। आपत्ति कुर्रेजात बहस में भी प्रतिवादी अधिवक्तागण द्वारा उक्त लिखित तथ्य पुनः दोहराए गए। हमनें प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव व जमाबन्दी का मनन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के प्रकाश में कर यह पाया कि प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 28.02.2022 में तहसीलदार जयपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल अजमेर) के नियम 18 से 21 के अनुरूप पालना कर कुर्रेजात बनाने हेतु आदेश प्रदान किए [illegible] होने से उप तहसीलदार कालवाड [illegible] प्राप्त प्रशासनिक/राजस्व शक्तियों [illegible] जो कि पूर्ण रूप से वैद्य है। कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार [illegible] से पूर्व सभी पक्षकारों की तामील करवाई गई, जो शामिल पत्रावली है। **प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव में सभी [illegible]कारों के जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार व रास्ते के प्रावधान को ध्यान में रख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल अजमेर) के नियम 18 से 21 की पालना कर तैयार की गई**

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 15:54:23 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान [illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या– ~~अस्थाई निषेधाज्ञा~~–............/~~2022~~ दावा 5 – 24/2018

है। अतः प्रार्थी (प्रतिवादी सं0 2 से 5) की आपत्ति खारिज की जाती है। पत्रांक 4512 दिनांक 25.05.2022 द्वारा प्राप्त कुर्रेजात के अनुरार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3/8/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 15:54:23 IST
Reason: SelfAttested